हुक्म तार
नंबर
तारीख

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–तखतगढ

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 52/2013
दायरा तिथि 22.08.2013
निर्णय तिथि 30.06.2017

वादीनी–
दाडमी पत्नी लखमारामजी
जाति सुथार, निवासी तखतगढ
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनामः

प्रतिवादीगण–
1–थानसिंह पुत्र वागसिंहजी
2–परबतसिंह पुत्र थानसिंहजी
3–जेठीकंवर पत्नी थानसिंहजी
4–उम्मेदसिंह पुत्र मोपसिंहजी
5–अर्जुनसिंह पुत्र मोपसिंहजी
6–भगवानसिंह पुत्र मोपसिंहजी
7–सरेकंवर पत्नी मोपसिंहजी
तमाम जाति राजपूत निवासी तखतगढ
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 92(क), 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 30.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–तखतगढ में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीनी द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा तखतगढ, पटवार सर्कल तखतगढ, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 181 रकबा 1.70 हेक्टर किस्म नहरी वादीनी के स्वामित्व की खातेदारी भूमि आयी हुई है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादीनी ने प्रतिवादीगण के कुटुम्बी सदस्य पूर्व खातेदार दरियाकंवर बेवा प्रेमसिंहजी, रतनकंवर, अनिताकंवर, चंदा, गीता पुत्रीया स्व.प्रेमसिंहजी, भवानीसिंह, दलपतसिंह पुत्रगण स्व.प्रेमसिंहजी जाति राजपूत निवासी तखतगढ से पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 21.07.2009 द्वारा खरीद की थी, तब से आज तक वादीनी का ही मौके पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीनी की उक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि के लगते खसरा नं. 179 रकबा 3.62 हेक्टर व खसरा नं. 182 रकबा 5.00 हेक्टर भूमि प्रतिवादी सं.01 व 04 लगाय 07 तथा दीगर खातेदारान के संयुक्त स्वामित्व की खातेदारी आयी हुई है, प्रतिवादी सं.02 व 03 प्रतिवादी सं.01 के पुत्र व पत्नी है जो प्रतिवादी सं.01 के साथ ही काश्त करते है, परन्तु प्रतिवादीगण, वादीनी की उपरोक्त वर्णित कब्जे काश्त व स्वामित्व खातेदारी भूमि में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी कर रहे है व जोर जबरदस्ती व गैरकानूनी रूप से हडप करने की नियत से वादीनी को बेदखल करने पर आमादा व धमकियां दे रहे है। इसलिए वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादीनी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या बेदखल नहीं करे, इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमावे। वादीनी ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः संबंधित जमाबंदिया संवत् 2068–71 कुल 03, नक्शा ट्रेस, पंजीबद्ध दिनांक 21.07.2009 व मुख्त्यारनामा दिनांक 23.06.2009 की प्रतियां पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

लगातार–2

Scanned by CamScanner

(2) कि प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.01 व 05 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित कथनों व तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि वादीनी ने प्रतिवादीगण को केवलमात्र परेशान करने की नियत से यह वादपत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीनी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है। इसलिए वादीनी का यह वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। चूंकि इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमने, कथित मामले में पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः संबंधित जमाबंदिया संवत् 2068–71 कुल 03, नक्शा ट्रेस, पंजीबद्ध दिनांक 21.07.2009 व मुख्त्यारनामा दिनांक 23.06.2009 की प्रतियां के अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात् वस्तुतःस्थिति सुस्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा तखतगढ के हाल खसरा नं. 181 रकबा 1.70 हेक्टर किस्म नहरी वादीनी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके फलस्वरूप वादपत्र में वादीनी द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है और इस आधारित हमारी विधिक राय है कि वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा तखतगढ, पटवार सर्कल तखतगढ, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 181 रकबा 1.70 हेक्टर किस्म नहरी के बारे में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या बेदखल नहीं करे, इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक **30.06.2017** को राजस्व लोक अदालत केम्प–तखतगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) सुमेरपुर, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner